राज्य के उद्यमियों के लिए

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा औद्योगिक इकाईयों को वर्त्तमान में ऑनलाईन सहमति प्रबंधन के तहत ऑनलाइन पोर्टल http://bhocmms.nic.in पर सशुल्क आवेदन करने पर तथा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली इकाइयों को सशर्त्त 'स्थापना' एवं 'संचालन' हेतु क्रमशः 'स्थापनार्थ सहमति' (Consent-to- Eastablish) तथा 'संचालनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) दी जाती है।

संचालनार्थ सहमति हेतु पूर्व निर्धारित शर्त्तों को पूरा करने वाली इकाई को राज्य पर्षद् से एक बार 5 वर्षों के लिए सहमति प्रदान किया जाता है।

इकाई संचालक को पहले संचालनार्थ सहमति के नवीकरण (Renewal) हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ता था, जिसका विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के पश्चात ऑनलाईन के माध्यम से नवीकरण सहमति आदेश निर्गत किया जाता था।

अब दिनांक 01 जनवरी, 2021 से राज्य में उद्यमियों की सुगमता के लिए जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के तहत राज्य पर्षद् से इकाईयों को पूर्व से जारी 'संचालनार्थ सहमति' (Consent-to-Operate) की अवधि समाप्ति के 30 दिन पूर्व नवीकरण (Renewal) के लिए विकल्प चुनकर सशुल्क ऑनलाईन आवेदन देते ही अवधि विस्तार के साथ 'संचालनार्थ सहमति' का आदेश QR Code कोड के साथ स्वतः (Automaticaly) ही प्राप्त हो जायेगा। सहमति आदेश में अंकित QR Code में उस उद्योग के बारे में आवश्यक जानकारी दी गयी रहती है।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई-मेल–bspcb@yahoo.com, **वेबसाईट**– http://bspcb.bih.nic.in